रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 91] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 1970/वैशाख 24, 1892

No. 91] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 1970/VAISAKHA 24, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(P. & T. Board)

New Delhi, the 14th May 1970

G.S.R. 801.—In exercise of the powers conferred by section 7, 8, 21, 28, 29, 34, 35, 43 and 74 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (Third Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the 15th May, 1970.

2. In the Indian Post Office Rules, 1933:—

(1) in rule 1,

(a) in the entries under the heading "Book, pattern and sample packets", for the figures and word "15 paise" occurring at one place, the figures and word "20 paise" shall be substituted;

(b) in the entries under the heading "Parcels", for the figures and word "80 paise" occurring at two places, the figures and word "90 paise" shall be substituted;

(2) in rule 59, for the figures and word "75 paise", the figures and word "95 paise" shall be substituted;

(3) in rule 96, in sub-rule (2), for the entries under the heading "SCHEDULE OF FEES", the following entries shall be substituted namely:—

"Amount specified for recovery from the addressee.	Not exceeding Rs. 10	10 paise
	Exceeding Rs. 10	25 paise";

(4) in rule 98, for the entries under the heading "SCHEDULE OF FEES", the following entries shall be substituted, namely:—

"(i) Where the amount specified for remittance to the sender does not exceed Rs. 100.	20 paise for every sum of Rs. 10 or fraction thereof.
(ii) Where the amount specified for remittance to the sender exceeds Rs. 100.	For amount upto Rs. 100 same as in item (i) and 40 paise for every additional sum of Rs. 20 or fraction thereof";

(5) in rule 112, for sub-rule (1) excluding the proviso, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) A commission on the issue of inland money orders shall be charged at the following rates, namely:—

(i) Where the amount of remittance does not exceed Rs. 100.	20 paise for every sum of Rs. 10 or fraction thereof.
(ii) Where the amount of remittance exceeds Rs. 100.	For amounts upto Rs. 100 same as in item (i) and 40 paise for every additional sum of Rs. 20 or fraction thereof.":

(6) in rule 128, for the figures and word "15 paise", the figures and word "50 paise" shall be substituted;

(7) in rule 194, in the entry under the heading "Registration Envelopes, for the figures and word "95 paise", the word and figures "Rupees 1.15" shall be substituted.

[No. 7-32/70-R]

R. P. SINGH,
Member (Banking and Insurance) &
Ex-Officio Jt. Secy.

संचार विभाग

(डाक तार बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 1970

सा० का० नि० 801.—भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 7, 8, 21, 28, 29, 34, 35, 43 और 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय डाकघर नियम, 1933 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. (1) ये नियम भारतीय डाकघर (तीसरा संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

(2) ये 15 मई, 1970 को प्रवृत्त हो जायेंगे।

2. भारतीय डाकघर नियम, 1933 में :—

(1) नियम 1 में —

(क) "पुस्तक, प्रतिरूप और नमूना पैकेट" शीर्षक के नीचे की प्रविष्टियों में, एक जगह आने वाले "15 पैसे" अंकों और शब्द के स्थान पर "20 पैसे" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ;

(ख) "पार्सल" शीर्षक के नीचे की प्रविष्टियों में दो जगह आने वाले "80 पैसे" अंकों और शब्द के स्थान पर "90 पैसे" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(2) नियम 59 में, "75 पैसे" अंकों और शब्द के स्थान पर "95 पैसे" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे,

(3) नियम 96 में, उपनियम (2) में, "फीस की अनुसूची" शीर्षक के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:—

"पाने वाले से वसूली के लिए विनिर्दिष्ट रकम	10 रु० से अनधिक	10 पैसे
	10 रु० से अधिक	25 पैसे"

(4) नियम 98 में, "फीस की अनुसूची" शीर्षक के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

"(i)	जहां प्रेषक की प्रेषण के लिए विनिर्दिष्ट रकम 100 रु० से अधिक न हो।	10 रु० की राशि या उसके भाग की प्रत्येक राशि के लिए 20 पैसे।
(ii)	जहां प्रेषक की प्रेषण के लिए विनिर्दिष्ट रकम 100 रु० से अधिक हो।	100 रु० तक की रकम के लिए वही जो मद (i) में है और 20 रु० की या उसके भाग की प्रत्येक अतिरिक्त राशि के लिए 40 पैसे।

(5) नियम 112 में, परन्तुक को अपवर्जित कर के उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(i) अन्तर्देशीय मनीआर्डरों के जारी किए जाने पर कमीशन निम्नलिखित दरों पर प्रभारित किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) जहां प्रेषण की रकम 100 रु० से अधिक न हो ।	10 रु० की या उसके भाग की प्रत्येक राशि के लिए 20 पैसे ।
(ii) जहां प्रेषण की रकम 100 रु० से अधिक हो ।	100 रु० तक की रकम के लिए वही जो मद (i) में है और 20 रु० या उसके भाग की प्रत्येक की अतिरिक्त राशि के लिए 40 पैसे ।"

(6) नियम 128 में, "15 पैसे", अंकों और शब्द के स्थान पर, "50 पैसे" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(7) नियम 194 में, "रजिस्ट्री के लिफाफे" शीर्षक के नीचे की प्रविष्टि में, "95 पैसे" अंकों और शब्द के स्थान पर, "1.15 रुपये" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे

[सं० 7-32/70-आर०]

रमेन्द्र पाल सिंह,
सदस्य (बैंकिंग और बीमा)
वित्त पदेन संयुक्त ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970